Title: Need to adopt uniform policy in providing Employees Provident Fund number to local contractors undertakings work in hydro-electric projects, Himachal Pradesh.

श्री महेश्वर सिंह (मण्डी): सभापति महोदय, गत वर्ा हि.प्र. की अत्यंत महत्वाकांक्षी और बहुद्देशीय पार्बती जलविद्युत परियोजना के कुल्लू जिले में शिलान्यास के बाद स्थानीय लोगों में रोजगार उपलब्ध होने की एक प्रबल आशा जगी है। वैसे तो कर्मचारी भविय निधि (ई.पी.एफ.) नंबर उन्हीं कार्य करने वालों को लेना आवश्यक है जो कार्य स्थायी स्वभाव के हों अर्थात् अस्थायी कार्य के लिये ई.पी.एफ. नंबर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब नाथपा झाक्ड़ी पावर कार्पोरेशन (एन.जे.पी.सी) के निर्मण का काम प्रारम्भ हुआ, तो हि.प्र. के क्षेत्रीय भवियनिधि आयुक्त, शिमला ने कोई आपत्ति नहीं की बल्कि लिखित रूप में एन.जे.पी.सी. को दिया कि अस्थाई कार्य करने वालों को ई.पी.एफ. नंबर लेने की आवस्यकता नहीं है। इसलिये लोगों को व्यर्थ में परेशान न किया जाये। परिणामस्वरूप लोगों को ठेके मिलते रहे और आज भी मिल रहे हैं, लेकिन अब, जब नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन ने इसी आधार पर कुल्लू में पार्बती जलविद्युत परियोजना के निर्माण संबंधी ठेके देने चाहे, तो हि.प्र. के क्षेत्रीय भवियनिधि आयुक्त ने अड़ंगे लगाने शुरु कर दिये और यह नोटिस दे दिया कि जो भी कार्य दिया जाये वह उन्हीं ठेकेदारों को दिया जाये जिनके पास ई.पी.ए. नंबर हो। जब स्थानीय लोग ई.पी.एफ. नंबर लेने हेतु क्षेत्रीय भवियनिधि आयुक्त के कार्यालय में जाते हैं तो उन्हें ई.पी.एफ. नंबर देने से यह कह कर इनकार कर दिया जाता है कि सरकार के निर्देश हैं कि ई.पी.एफ. नंबर किसी को न दिया जाये। मेरा आपके माध्यम से श्रम मंत्री महोदय से निवेदन है कि क्षेत्रीय भवियनिधि आयुक्त, हि.प्र. शिमला को तुरंत निर्देश प्रदान करें कि एन.जे.पी.सी. की भांति अस्थाई कार्य करने वालों को ई.पी.एफ. नंबर लेने से छूट दी जाये और यदि नंबर लेना आवश्यक भी हो तो सभी ठेकेदरों को अविलंब प्रदान किये जायें।